

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

**Notification No.103/2017 - Customs (N.T.)**

New Delhi, dated the 2<sup>nd</sup> November, 2017  
11 Kartika 1939 (SAKA)

In exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Central Board of Excise and Customs No.96/2017-CUSTOMS (N.T.), dated 18<sup>th</sup> October, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Excise and Customs hereby determines that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currencies specified in column (2) of each of Schedule I and Schedule II annexed hereto, into Indian currency or *vice versa*, shall, with effect from 3<sup>rd</sup> November, 2017, be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof, for the purpose of the said section, relating to imported and export goods.

SCHEDULE-I

Sl.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
		(a)	(b)
(1)	(2)	(3)	
		<b>(For Imported Goods)</b>	<b>(For Export Goods)</b>
1.	Australian Dollar	50.65	48.90
2.	Bahrain Dinar	177.15	165.50
3.	Canadian Dollar	51.10	49.50
4.	Chinese Yuan	9.95	9.60
5.	Danish Kroner	10.30	9.90
6.	EURO	76.50	73.90
7.	Hong Kong Dollar	8.40	8.15
8.	Kuwait Dinar	220.80	206.60

9.	New Zealand Dollar	45.60	43.80
10.	Norwegian Kroner	8.10	7.80
11.	Pound Sterling	87.10	84.25
12.	Qatari Riyal	17.65	16.15
13.	Saudi Arabian Riyal	17.80	16.65
14.	Singapore Dollar	48.25	46.75
15.	South African Rand	4.80	4.50
16.	Swedish Kroner	7.85	7.55
17.	Swiss Franc	65.70	63.55
18.	UAE Dirham	18.15	17.00
19.	US Dollar	65.40	63.70

SCHEDULE-II

Sl.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Japanese Yen	57.65	55.70
2.	Kenya Shilling	64.40	60.15

[F.No. 468/01/2017-Cus.V]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Govt. of India

TELE: 011-2309 5541

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)  
अधिसूचना सं.103/2017- सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवंबर, 2017

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 96/2017 - सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को अधिकांत करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 3 नवंबर, 2017 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यात माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: -

### अनुसूची-I

क्र.सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
		(क)	(ख)
(1)	(2)	(3)	
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यात माल के लिए)
1.	आस्ट्रेलियन डालर	50.65	48.90
2.	बाहरेनी दीनार	177.15	165.50
3.	कनेडियन डालर	51.10	49.50
4.	चीनी युवान	9.95	9.60
5.	डेनिश क्रोनर	10.30	9.90
6.	यूरो	76.50	73.90
7.	हांग कांग डालर	8.40	8.15
8.	कुवैती दीनार	220.80	206.60
9.	न्यूजीलैंड डालर	45.60	43.80
10.	नॉर्वेजियन क्रोनर	8.10	7.80
11.	पाउण्ड स्टर्लिंग	87.10	84.25
12.	कतारी रियाल	17.65	16.15
13.	साऊदी अरेबियन रियाल	17.80	16.65
14.	सिंगापुर डालर	48.25	46.75
15.	साउथ अफ्रीकन रैंड	4.80	4.50

16.	स्वीडिश क्रोनर	7.85	7.55
17.	स्विस फ्रैंक	65.70	63.55
18.	यू. ए. इ. दिरहम	18.15	17.00
19.	यू . एस. डालर	65.40	63.70

**अनुसूची-II**

क्र.सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर	
		(क)	(ख)
(1)	(2)	(3)	
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यात माल के लिए)
1.	जापानी येन	57.65	55.70
2.	केन्यन शिल्लिंग	64.40	60.15

(फा.सं. 468/01/2017 सीमा  
शुल्क-V)

(डॉ. श्रीपार्वती एस. एल.)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफ़ोन नं. 011-2309 5541